कार्यालयः प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फैजाबाद

पत्रांकःडायट/वि0बी0टी0सी0–08/ 2570–74 /2010–2011 दिनांक 23-8-201

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश सं0–1186/15–11–2008 दिनांक 14 नवम्बर 2008 एवं मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों के प्रति प्रकाशित विज्ञप्तियों के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों में अंकित विवरण के आधार पर जनपद–फैजाबाद हेतु निर्धारित 260 सीटों के सापेक्ष तृतीय जॉच सूची **Third List of candidates for verification of original documents है**, निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है। तृतीय जॉच सूची वेबसाइट' पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी **Website–http:// www .faizabad .nic.in के Home page पर बने, Link '3rd janch List** तृतीय जॉच सूची' पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते है। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/ विशेष आरक्षण/ शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पार्सपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ अपने वर्ग/श्रेणी के सामने अंकित जॉच तिथि को प्रातः 10 बजे संस्थान में उपस्थित हो ।

तृतीय जॉच सूची की कट ऑफ मेरिट का विवरण (शिक्षा मित्र से भिन्न)		
वर्ग/श्रेणी	कट ऑफ	जॉच तिथि
अनुसूचित जाति /महिला/कला	156.81	28-08-2010
अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/कला	226.82	28-08-2010
अनुसूचित जाति/पुरूष/कला	221.97	30-08-2010
अन्य पिछडा वर्ग/पुरूष/कला	239.43	30-08-2010

- जारी की गयी तृतीय जॉच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है यह मात्र मूल प्रमाण प्रत्रों की जॉच हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों का विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 चयन हेतु स्वतः कोई दावा नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी का कट ऑफ गुणांक उपर्युक्त गुणांक से अधिक है तथा उसका नाम सूची मे नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 30-08-2010 तक अपना प्रत्यावेदन स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं, उक्त तिथि के उपरान्त किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- जारी की गई तृतीय जांच सूची मा. उच्च न्यायालय/मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि संज्ञान के अधीन होगी।

20/8/2010

(महेन्द्र कुमार कन्नौजिया)
प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्थान फैजाबाद ।